

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 84/18

- अनवान :
1. जयलालदीन पुत्र स्व. सुलतान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गान्धीबड़ी हाल चाहरवाला जिला सिरसा।
 2. महबुब पुत्र स्व. सुलतान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गान्धीबड़ी हाल चाहरवाला जिला सिरसा।

—वादीगण

बनाम

1. बलकिसा पत्नी महावीर, पुत्री स्व. सुलतान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गान्धीबड़ी हाल निवासी साहवा तहसील तारानगर।
2. जैतुन पत्नी रोशन, पुत्री स्व. सुलतान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गान्धीबड़ी हाल निवासी साहवा तहसील तारानगर।
3. शकुरा पत्नी फिरोज, पुत्री स्व. सुलतान जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गान्धीबड़ी हाल निवासी बाय तहसील तारानगर।
4. इकबाल पुत्र सन्तो पत्नी नजीर जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जमाल तहसील चोपटा जिला सिरसा।
5. कालु पुत्र सन्तो पत्नी नजीर जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जमाल तहसील चोपटा जिला सिरसा।
6. सिलो पुत्री सन्तो पत्नी नजीर जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जमाल तहसील चोपटा जिला सिरसा।
7. हलीमा पत्नी स्व. सुलतान जाति जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 भोजासर में वकीलवादी श्री दीवान सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 174/153 के मु० न. 27 के किला न. 24 मु० न० 29 के किला न. 8 ता 13, 18 ता 20 कुल 2.530 हैक्टर नहरी में मृत्क प्रतिवादी सुलतान के नाम 1.266 हैक्टर भूमि में नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण 1 व 2 को बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ